लय अति० जिला कलक्टर, सीकर

वान शिवकुमार बनाम तहसीलदार

ुकदमा नं. जागीर प्रा.पत्र मु.नं. 01/2026

07/01/26	प्रार्थी की ओर से वकील श्री कैलाश स्वामी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र बाबत मन्दिर श्री ठाकुर जी वाके ग्राम खूड़ की भोग राशि प्राप्ति हेतु प्रार्थी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाकर प्रपत्र 12 'क' जारी किये जाने हेतु पेश किया है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। उज्रदारी नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 06/02/26 को पेश हो। [illegible]	
06/02/26	वकील प्रार्थी उपस्थित। उज्रदारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हो चुका है। प्रार्थी शिवकुमार ने उपस्थित होकर साक्ष्य बाबत शपथ-पत्र पेश किया जो शामिल रहे। अप्रार्थी स. 2 ता 5 की ओर से वकील श्री राधाकृष्ण स्वामी ने वकालतनामा व जवाब प्रा.पत्र पेश किया जो शामिल रहे। तहसीलदार दांतारामगढ़ से रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दि. 09/3/26 को पेश हो। [illegible]	[illegible] पहचानकर्ता [illegible]
09/3/26	वकील उभयपक्ष उपस्थित। ~~अप्रार्थी~~ अप्रार्थी स. 4 रतनलाल व अप्रार्थी स. 5 महावीर प्रसाद ने आपत्ति आवेदन जवाब प्रा.पत्र पेश किया जो शामिल रहे। नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब एवं रिपोर्ट हेतु आइंदा दिनांक 09/04/26 को पेश हो। [illegible]	[illegible]
9/4/26	अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा आवेदन बाबत मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने आवेदन	[illegible]

पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपना आवेदन आगे नही चलाना चाहता है अत: प्रार्थी का आवेदन विड्रा किए जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करावे। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा किए गए निवेदन से सहमत होने पर आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र विड्रा किए जाने हेतु आदेश किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। प्रार्थना-पत्र विड्रा किए जाने के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर

[signature]
24/3/26
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर